

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्याप्तिक्रिया सहित  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 07/2024

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.


रामजीलाल पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम्

1. सुलतान पुत्र सुरजाराज
2. हंसराज पुत्र सुरजाराज
3. धर्मपाल पुत्र सुरजाराज
4. किरण पुत्री सुलतान
5. उषा पुत्री सुलतान
6. जह्नीयादेवी पत्नी स्व.दलीप
7. ओमप्रकाश पुत्र स्व.दलीप
8. जसवंत पुत्र भूपराम
9. समेस्ता पुत्री भूपराम
10. सुरेश पुत्र भूपराम
11. चंद्रराम पुत्र करनाराम
12. सुगनलाल पुत्र शशोपतराम
13. रामकुमार पुत्र स्व. पृथ्वीराम
14. कृष्णलाल पुत्र स्व. पृथ्वीराम
15. इन्द्रपाल पुत्र स्व. साहबराज पुत्र स्व. पृथ्वीराम
16. रमेश कुमार पुत्र स्व. साहबराज पुत्र स्व. पृथ्वीराम
17. नरेन्द्र पुत्र स्व.राजाराज पुत्र स्व. पृथ्वीराम
18. रणवीर पुत्र ताराचंद
19. महावीर पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार
20. कुलदीप पुत्र स्व.सुरेन्द्र कुमार
21. विमला पत्नी स्व.अमीलाल
22. रेणु पुत्री अमीलाल
23. कान्ता पुत्री अमीलाल
24. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

रामरत अकवाम जाट सकनाये किशनपुरा उत्तराधा  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)



डिक्री

-प्रतिवादीगण  
दिनांक :- 21.11.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिरसाल कतई रुबरु  
हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक वकील वादी मिन जागिन मुदई .....मिन जानिब मुदायला पेश  
होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री  
निम्नानुसार दी जाती है:-

वक 13 पीटीपी के खाता संख्या 40/38 में कुल रकबा 1.012 है. में मौके पर कब्जा की भूमि :-

1. रामजीलाल पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा राहिन पीएनवी शाखा खेरुवाला प.न.  
121/147 मु.न. 36 किला नं. 20,21/0.253 है.प्र. कुल रकबा 0.506
2. दलीप पुत्र पूर्ण (फौत) इनके हिस्सा पर वारिसान का कब्जा 1 औमप्रकाश पुत्र दलीप 1/5 हि. इन्द्रादेवी  
पुत्री दलीप 1/5 हिस्सा शिलोदेवी पुत्री दलीप 1/5 हि जडियांदेवी पत्नी दलीप 1/5  
भूपराम पुत्र दलीप (फौत) इनके हिस्से पर वारिसान का कब्जा सुनिता पत्नी भूपराम 1/20 हि. सुरेश  
कुमार पुत्र भूपराम 1/20 हि. जसवंत पुत्र भूपराम 1/20 हि. समेस्ता पुत्री भूपराम 1/20 हि जाति जाट  
सा. किशनपुरा उत्तराधा प.न. 120/147 मु.न. 37 किला नं. 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. मु. खाला  
25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. मै.मु. खाला कुल रकबा 0.506 है.

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया



अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/2000 दिनांक 30.05.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट: तहसीलदार संगरिया ने अपने विभाजन प्रस्ताव में दलीप पुत्र पूर्ण, भूपराम पुत्र दलीप को फौत होना तथा इनके वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए तहसीलदार संगरिया स प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दलीप पुत्र पूर्ण, भूपराम पुत्र दलीप के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज मुब्लिक बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.11.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया